



// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय के निलम्बन आदेश पत्रांक 202/फा0सं0-1174/बी.टेक./डी.एस.एम.एन.आर.यू./2021-22 दिनांक: 26 अप्रैल, 2022 द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग (ECE) के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी मो0 फैज पुत्र फईम अहमद, रोल नं0-208330163 तथा श्री नदीम खान पुत्र सुहैल खान, रोल नं0-208330164 को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण होने तक परीक्षा एवं शिक्षण गतिविधियों में सम्मिलित होने से वंचित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था।


उपर्युक्त के क्रम में विश्वविद्यालय के कुलानुशासक कार्यालय की आख्या/संस्तुति तथा सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 100/- नोटराज्ड शपथ-पत्र के आधार पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग (ECE) के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी मो0 फैज पुत्र फईम अहमद, रोल नं0-208330163 तथा श्री नदीम खान पुत्र सुहैल खान, रोल नं0-208330164 का निलम्बन आदेश समाप्त किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित विद्यार्थियों को पूर्व के सेमेस्टर शुल्क साथ रू0 2000/- प्रति सेमेस्टर दण्ड शुल्क के रूप में जमा किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
5. निदेशक, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
7. गार्ड फाइल।


(रोहित सिंह)
कुलसचिव